प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट

शहरी गरीबों की परिवार नियोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सेवा प्रदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी

उद्देश्य

सरकारी योजनाओं के तहत निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करने के लिए मार्गदर्शन देना, जिससे शहरी गरीबों की अपूरित परिवार नियोजन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस भागीदारी में निजी स्वास्थ्य केन्द्रों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत परिवार नियोजन सेवाएं देने हेतु अधिकृत करना, शल्य चिकित्सकों को पैनलबद्ध करना, दी गई सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति करना व परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के माध्यम से कानूनी संरक्षण देना शामिल है।

प्रयोगकर्ता (जो इस टूल का प्रयोग करेंगे)

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- मिशन निदेशक, एन.एच.एम.
- अपर मिशन निदेशक, एन.एच.एम.
- मुख्य चिकित्साधिकारी (सी.एम.ओ.)
- नोडल अधिकारी– शहरी स्वास्थ्य व परिवार नियोजन
- जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डी.पी.एम.)
- निजी स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी
- फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गाइनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ
- इंडिया (फॉगसी) के पदाधिकारी
- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई.एम.ए.) के पदाधिकारी
- अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, एन.यू.एच.एम.

पृष्ठभूमि

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच विश्वास की कमी है। इसलिए, निजी क्षेत्र परिवार नियोजन सहित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सरकार के साथ आसानी से हाथ नहीं मिलाता। इसके अलावा, सेवा प्रदाताओं को पैनलबद्ध करने और स्वास्थ्य केन्द्रों को मान्यता अधिकृत करने की प्रक्रिया काफी जटिल है। निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई परिवार नियोजन सेवाओं के लिए सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति करने में विलम्ब करना निजी क्षेत्र की प्रमुख चिंताओं में शामिल है। गुणवत्तायुक्त परिवार नियोजन सेवाओं को प्रदान करने में निजी क्षेत्र की ऐसी चिंताओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सरकार अकेले ही संपूर्ण जनसंख्या की सेवा करने का बोझ नहीं उठा सकती।

अधिकृत करने और पैनलबद्ध करने के संबंध में सरकारी दिशानिर्देश

1. प्रति ब्लॉक कम से कम दो निजी स्वास्थ्य केन्द्रों को मान्यता दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में, अधिकृत स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला व पुरूष नसबंदी सेवाओं के लिए के लिए 3000 रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। इस राशि में से 2000 रुपए स्वास्थ्य केन्द्र को दिए जाते हैं, महिला व पुरूष नसबंदी दोनों ही मामलों में। अन्य राज्यों में राशि भिन्न–भिन्न हो सकती है।
2. जो लाभार्थी नसबंदी सेवा प्राप्त करता है, उसे स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा मजदूरी के हुए नुकसान की भरपाई स्वरूप 1000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। उपयोगकर्ता शुल्क, दवा, पट्टी करने की लागत, व कोई अन्य लागत लाभार्थी से नहीं वसूली जाएगी।
3. अधिकृत करने और पैनलबद्ध करने के संबंध में सरकारी आदेश (जी.ओ.) संख्या 143 तथा मिशन परिवार विकास (एम.पी.वी) का पालन किया जाना चाहिए।

अधिकृत करना और पैनलबद्ध करना ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग परिवार नियोजन और अन्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ एक आपसी समझौते (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करता है। यह एम.ओ.यू प्रदान की जाने वाली परिवार नियोजन की सेवाओं के संदर्भ में निजी सेवा प्रदाताओं की भूमिका का वर्णन करता है। यह स्वास्थ्य विभाग की भूमिका का भी उल्लेख करता है व साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्वास्थ्य प्रदाताओं को एक निर्धारित समय–सीमा के भीतर भुगतान (अग्रिम और प्रतिपूर्ति) करने की शर्तों का भी वर्णन करता है। इसके अलावा, यह मजदूरी के नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करने के लिए नसबंदी के लाभार्थियों को सक्षम बनाता है।

पैनलबद्ध करने से सेवा प्रदाता सरकारी परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (एफ.पी.आई.एस.) के तहत एक बीमा कवरेज के लिए भी पात्र बन जाता है। एफ.पी.आई.एस. का उद्देश्य सभी लाभार्थियों के साथ–साथ चिकित्सक तथा स्वास्थ्य केन्द्रों (निजी, मान्यता प्राप्त निजी तथा गैर–सरकारी संगठन) को नसबंदी शल्यचिकित्सा के पश्चात् मृत्यु होने/नसबंदी असफल होने/कोई जटिलता होने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उनकी क्षतिपूर्ति करना है। यह न्यायालयी प्रकरणों के मामले में भी कवरेज प्रदान करता है। इस सुरक्षा का ज्ञान, निजी सेवा प्रदाताओं और स्वास्थ्य केन्द्रों को परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पॉप्युलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल (पी.एस.आई.) की ई.ए.क्यू. परियोजना के तहत, निजी स्वास्थ्य केन्द्रों और सेवा प्रदाताओं को अधिकृत करने और उन्हें पैनलबद्ध करने के कार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.), उत्तर प्रदेश और स्टेट इनोवेशन्स इन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोजेक्ट एजेंसी (सिफ्प्सा) के साथ एक सरल, तेज और सुविधाजनक वेब आधारित पोर्टल (www.hausalasajheedari.in) के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की गई है। यह पोर्टल सेवा प्रदाताओं और स्वास्थ्य केन्द्रों को अधिकृत करने और पैनलबद्ध होने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सिंगल–विंडो के रूप में कार्य करता है।

प्रभाव के प्रमाण

नीचे दी गई तालिका उत्तर प्रदेश सरकार की हौसला साझीदारी पहल के तहत पैनलबद्ध सेवा प्रदाताओं तथा अधिकृत स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि के साथ संबद्ध परिवार नियोजन की सेवाओं में वृद्धि के प्रमाण को दर्शाती है।

अवधि	अधिकृत (संख्या)	पैनलबद्ध (संख्या)	एफ.एस.टी. (संख्या)	एन.एस.वी (संख्या)	आई.यू.सी.डी.(संख्या)	डी.एम.पी.ए.(संख्या)
दिसम्बर- 2015	177	176	8957	205	566	831
जून- 2016	494	471	26595	926	11299	5869
दिसम्बर- 2016	691	528	46809	2439	45546	18652
जून- 2017	796	634	71566	3623	76267	26106
दिसम्बर- 2017	946	751	99780	4376	110142	38296
जून- 2018	1027	776	125754	4517	126691	45345

डाटा स्रोत : हौसला साझीदारी वेब पोर्टल (अप्रैल 2015 से जून 2018 तक)

यू.एच.आई. कार्यक्रम, निजी क्षेत्र के सहयोग के प्रभाव का एक उदाहरण है, जिसमें यह पाया गया कि बरेली शहर में, वर्ष 2013 में अधिकृत होने के उपरांत, एक निजी स्वास्थ्य केन्द्र ने शहर में महिला नसबंदी के कुल मामलों में से एक तिहाई से अधिक नसबंदी की।

अधिकृत होने और पैनलबद्ध किए जाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु मार्गदर्शन

उत्तर प्रदेश में, वेब–आधारित हौसला साझीदारी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा और पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। यह योजना, मान्यता पाने और पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया, विशेष रूप से प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाती है।

निजी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में अधिकृत होने की मांग पैदा करने और एक इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने का सुझाव दिया जाता है:

निजी सेवा प्रदाताओं और/अथवा फॉग्सी सदस्यों में परिवार नियोजन सेवाओं के लिए अधिकृत और पैनलबद्ध किये जाने हेतु रुचि पैदा करने के लिए बैठकें करें।

निजी सेवा प्रदाताओं को सूचित करें कि वे 25 लाभार्थियों (इतनी ही राशि की बैंक गारंटी के समक्ष 75000 रुपए तक) को नसबंदी सेवाएं प्रदान करने के लिए अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके पश्चात् के भुगतानों को समय पर जारी करने का आश्वासन दिया जा सकता है। जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) के संबंध में सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर आने वाले निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने हेतु पैनलबद्ध होने में उनकी रुचि के बारे में पूछताछ करें।

अधिकृत होने के आवेदन की प्रक्रिया में सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करें, जिसमें एक आवरण पत्र के साथ आवेदन फार्म को भरने में सहायता प्रदान करना शामिल है। सी.एम.ओ. कार्यालय से अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निजी अस्पतालों और क्लीनिकों के दौरे किए जाएं, ताकि इस प्रक्रिया को स्पष्ट किया जा सके तथा अधिकृत होने हेतु आवेदकों को प्रोत्साहित किया जा सके।

निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए धनराशि का समय से जारी करना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें प्रेरित किया जा सके।

संतुष्ट अधिकृत सेवा प्रदाताओं और रुचि दिखाने वाले संभावित सेवा प्रदाताओं के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करें। यह सुनिश्चित करें कि आवेदन प्रक्रिया निर्बाध हो। एक बार आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, यह अनिवार्य है कि जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति (डी.क्यू.एसी.) एक से दो दिनों के भीतर ही आवेदक स्वास्थ्य केन्द्र का दौरा करें और दो से तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें (रेफर करें– निजी नर्सिंग होम/गैर सरकारी संगठन/निजी मेडिकल प्रैक्टिशनर मूल्यांकन प्रपत्र और मान्यता प्राप्ति के संबंध में एन.एच.एम., एस.पी.एम.यू. से प्राप्त पत्र)।

एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाएं।

- इन बिंदुओं को इस सम्बंध में जारी दिशानिर्देशों में विस्तार से वर्णित किया गया है (रेफर करें– आर.सी.एच. सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी स्वास्थ्य केन्द्र को अधिकृत किये जाने हेतु दिशानिर्देश)।
- उपरोक्त के सम्बंध में उत्तर प्रदेश शासन का जी.ओ–143 एक सुदृढ़ मार्गदर्शन प्रदान करता है।

निजी क्षेत्र के सेवाप्रदाताओं को अधिकृत करने और पैनलबद्ध करने के संबंध में भूमिका तथा जिम्मेदारियाँ

सी.एम.ओ.

- निजी स्वास्थ्य केन्द्रों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत परिवार नियोजन सेवाएं देने हेतु अधिकृत करने तथा चिकित्सकों को पैनलबद्ध करने के लिए योजना तथा बजट तैयार करें।
- प्रक्रिया हेतु विज्ञापन दें।
- अधिकृत होने और पैनलबद्ध होने के लिए मांग पैदा करें।
- आवेदक के पास मौजूद सेवा केन्द्रों का आंकलन करने के लिए डी.क्यू.सी. का मार्गदर्शन करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति (डी.एच.एस.) से मान्यता प्राप्ति हेतु अनुमोदन प्राप्त करें।
- समय से धनराशि जारी करना सुनिश्चित करें।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डी.पी.एम.)

- जननी सुरक्षा योजना के अंर्तगत सम्बद्ध स्वास्थ्य केन्द्रों के दौरे के समय परिवार नियोजन के लिए अधिकृत होने और पैनलबद्ध होने को बढ़ावा दें।
- अधिकृत करने और पैनलबद्ध होने की प्रक्रिया पर फॉलोअप करें तथा इस संबंध में सी.एम.ओ. को अपडेट करें।
- प्रक्रिया में अवरोधों को दूर करने के लिए सी.एम.ओ. से सहायता प्राप्त करें।

निजी स्वास्थ्य केन्द्र और सेवा प्रदाता

- सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें।
- मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान डी.क्यू.ए.सी. की सहायता करें।

आशा

- समुदाय के सदस्यों के बीच स्वास्थ्य केन्द्र और सेवाओं (अधिकृत होने के उपरांत) का प्रचार करें।
- मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केन्द्र की सेवाओं के बारे में चिकित्सा धिकारी को फीडबैक प्रदान करें।

अधिकृत करने व पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया की आवधिक मॉनीटरिंग

डी.एच.एस. अथवा त्रैमासिक डी.क्यू.ए.सी. समीक्षा बैठकों में सी.एम.ओ. नियमित रूप से डी.पी.एम. और डी.क्यू.ए.सी. से निम्नलिखित संकेतकों पर जानकारी मांगे :

- अधिकृत होने हेतु पिछले माह में प्राप्त आवेदनों की संख्या
- अधिकृत होने और पैनलबद्ध करने के लिए डी.एच.एस. को प्रस्तुत किए गए फाइनल आवेदनों की संख्या
- डी.क्यू.ए.सी. द्वारा दौरा किए गए / मूल्यांकित स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
- डी.एच.एस. द्वारा अधिकृत किए जाने हेतु प्रदान किए गए अनुमोदन की संख्या
- अधिकृत होने का नवीकरण करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या और प्रदान किए गए अनुमोदन
- एक निर्धारित समय अवधि के भीतर अधिकृत किए गए तथा पैनलबद्ध करने हेतु संसाधित किए गए आवेदनों की संख्या
- एक वर्ष के भीतर अधिकृत पैनलबद्ध किए गए निजी प्रदाताओं और स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या (एम.ओ.यू. हुआ, सेवाएं प्रदान करने के लिए पत्र जारी हुए, रिपोर्टिंग फॉर्म साझा किए गए, निजी अस्पतालों को अग्रिम प्रदान किए गए, उचित रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रशिक्षण दिया गया)
- अधिकृत होने तथा पैनलबद्ध करने हेतु अपात्र स्वास्थ्य केन्द्रों और सेवा प्रदाताओं की संख्या और उनके पात्र नहीं होने के कारण। इससे इन केन्द्रों को अपने गुणवत्ता मानकों में सुधार करने और अधिकृत होने तथा पैनलबद्ध होने के लिए फीडबैक मिलेगा
- निजी सेवा प्रदाताओं से परिवार नियोजन की सेवाएं प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या
- जिले में सी.एम.ओ. / डी.क्यू.ए.सी. द्वारा निर्दिष्ट एक दल द्वारा टेलीफोन अथवा अन्य तरीके से सत्यापित किए गए (प्राप्त की गई सेवाओं की गुणवत्ता पर उनकी प्रतिक्रिया के साथ) लाभार्थियों का प्रतिशत
- प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त किए गए अनुरोधों की संख्या व रिपोर्ट प्राप्त करने के 45 दिनों के भीतर निजी सेवा प्रदाताओं को जारी की गई धनराशि
- उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन अधिकृत होने का नवीकरण प्राप्त करने वाले निजी स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

लागत

वर्तमान वर्ष के कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (पी.आई.पी.) में निजी सेवा प्रदाताओं के लिए निम्नवत अपेक्षित लागत मौजूद हो सकती है। यदि नहीं, तो उन्हें अगले वर्ष के पी.आई.पी. में अनुरोध किया जा सकता है।

आवेदनों को मंगवाने के लिए विज्ञापन लागतों की अतिरिक्त आवश्यकता हो सकती है और उन्हें पी.आई.पी. में उचित रूप से शामिल किया जा सकता है।

नीचे दी गई तालिका मात्र एक सूचक है और यह दर्शाती है कि किस प्रकार से लागत का सरकारी पी.आई.पी. में प्रावधान किया जाता है। इस प्रकार से प्रयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है कि किसी विशेष कार्य जैसे 'निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी' से जुड़ी लागत की तलाश कहां करें।

कॉस्ट एलिमेन्ट्स/पी.आई.पी. बजट हेड	एफ.एम.आर. कोड
प्रोसेसिंग अक्रेडिटेशन /एम्पैनल्मेंट फॉर प्राइवेट फैसिलिटीज / प्रोवाइडर्स टू प्रोवाइड एफ.पी. सर्विसेज़ एण्ड एन्हान्सिंग द कांट्रीब्यूशन इन एफ.पी	15.1.1; 15.1.2
केस बेस्ड कंपनसेशन टू प्राइवेट फैसिलिटीज एण्ड प्रोवाइडर्स	1.2.2.1. A तथा 1.2.2.1.बी; 1.2.2.2. A से 1.2.2.2. डी
एंगेजिंग प्राइवेट प्रोवाइडर्स फॉर एफ.पी. (ट्रेनिंग एण्ड क्यू.ए. एक्सपेंसेस)	13.1.2; 9.5.3.2; 9.5.3.4;9.5.3.7; 9.5.3.10; 9.5.3.27
फेमिली प्लानिंग इन्डेम्निटी स्कीम	1.2.2.3

सोर्सः एन.एच.एम. पी.आई.पी. गाइडलाइन, 2018–19

निरंतरता

निम्नलिखित कार्यवाही से लंबे समय तक परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान करने में निजी सेवा प्रदाताओं की प्रतिबद्धता और रुचि को बनाए रखने में मदद मिलेगी और इसे संस्थागत स्वरूप तथा स्थायित्व प्रदान किया जा सकता हैः

- सी.एम.ओ. की मासिक बैठकों में इन क्रियाकलापों की योजना और मॉनीटरिंग के संबंध में चर्चा।
- समयबद्ध तरीके से नवीनीकरण के लिए आवेदन करने हेतु सभी अधिकृत स्वास्थ्य केन्द्रों को डी.पी.एम. द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत स्वास्थ्य केन्द्रों और उनके लाभार्थियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक धनराशि को प्रत्येक वर्ष पी.आई.पी. में शामिल किया गया है।
- अच्छा प्रदर्शन करने वाले निजी स्वास्थ्य केन्द्रों का सम्मान करना, समय से धनराशि जारी करना और अधिकृत होने के नवीकरण के निबंधन और शर्तों में पारदर्शिता लाना।

उपलब्ध संसाधन

- फेमिली प्लानिंग इन्डेम्निटी स्कीम – सेकन्ड एडिशन–2016
- जी.ओ.–143 ऑन एक्रेडिटेशन – यू.पी. गवर्नमेंट, 2015
- जी.ओ.–मिशन परिवार विकास – यू.पी. गवर्नमेंट, 2016
- गाइडलाइन्स फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज टू प्रोवाइड आर.सी.एच. सर्विसेज
- हौसला साझेदारी वेब पोर्टल लिंक (www.hausalasajheedari.in)
- जननी सुरक्षा योजना – गाइडलाइन्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन – मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर
- प्राइवेट नर्सिंग होम/एन.जी.ओ/प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर असेसमेंट फॉर्म
- लेटर फ्रॉम द एन.आर.एच.एम. एस.पी.एम.यू. ऑन एक्रेडिटेशन

डिस्क्लेमरः
यह दस्तावेज – अर्बन हेल्थ इनिशिएटिव (बी.एम.जी.एफ. समर्थित), हैल्थ ऑफ द अर्बन पूअर (यू.एस.एड. समर्थित) व उत्तर प्रदेश में (बी.एम.जी.एफ. समर्थित) एक्सपैन्ड एक्सेस एण्ड क्वालिटी टु ब्रॉडन मेथड च्वाइस (ई.ए.क्यू.) इन कार्यक्रमों से संकलित की गई सीख पर आधारित है । यह दस्तावेज निर्देशात्मक नहीं है, बल्कि यह मार्गदर्शन प्रदान करता है कि प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट पर इन परियोजनाओं में किस प्रकार से कार्यवाही की गई। इस सीख को प्रयोगकर्ता अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं, या अपनी विशेष स्थिति के अनुसार ढाल सकते हैं।

tci THE CHALLENGE INITIATIVE
HEALTHY CITIES INDIA

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
पॉप्युलेशन सर्विसेज इंटरनैशनल
आई–1640, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली 110019